प्रेस नोट दिनांक- 09.09.2024 जनपद प्रतापगढ़

1- थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़-

-एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वांछित गिरफ्तार।
-अन्तर्गत धारा 419, 420, 406 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त
-कूटरचित दस्तावेज/खतौनी के आधार पर जमीन का फर्जी बैनामा के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार।
-थाना रानीगंज पुलिस द्वारा वांछित मनोज यादव पुत्र दुर्जन यादव को क्षेत्रान्तर्गत रामनगर गौशाल के पास रामनगर रोड से गिरफ्तार

प्रतापगढ़।
आरोपगण द्वारा फर्जी कूटरचित दस्तावेज व खतौनी के आधार पर धोखाधड़ी कर जमीन का फर्जी बैनामा का झांसा देकर पैसा हड़पने के प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त मनोज यादव पुत्र दुर्जन यादव निवासी ग्राम रामनगर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को रामनगर रोड पर से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी के मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण से प्रभारी निरीक्षक रानीगंज आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 09.09.20024 को उ0नि0 अश्वनी कुमार पटेल मय हमराह द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर, थाना रानीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 245/24 धारा 419, 420, 406, 465, 468, 467, 471, 120बी भादवि में वांछित अभियुकत्त मनोज यादव पुत्र दुर्जन यादव निवासी ग्राम रामनगर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत रामनगर रोड पर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-
मनोज यादव पुत्र दुर्जन यादव निवासी ग्राम रामनगर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम – उ0नि0 अश्वनी कुमार पटेल मय हमराह का0 मुकेश पटेल थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

2- थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी,

एएसपी(पश्चिमी) एवं क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 08 शातिर अपराधी/ टप्पेबाज गिरफ्तार

688 ग्राम नकली सोना की गुरिया व 5 अदद दाना शुद्ध सोना वचन 120 मिलीग्राम, 01 एण्ड्राइड मोबाइल फोन, 240 रूपये, 5 अदद कूटरचित दस्तावेज आधार कार्ड के साथ 08 शातिर अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार

टप्पेबाजों द्वारा नकली सोने की गुरिया को असली बताकर बहुत महंगे दामों में धोखे से बेचा जाता है

धोखे से नकली सोने की गुरिया को बेचने वाले उड़ीसा राज्य के 08 टप्पेबाज गिरफ्तार

थाना जेठवारा पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत डेरवा बाजार से 08 अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-

दिनांक 09.09.2024 थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत कस्बा डेरवा बाजार में 688 ग्राम नकली सोना की गुरिया व 5 अदद दाना शुद्ध सोना वचन 120 मिलीग्राम, 01 एण्ड्राइड मोबाइल फोन, 240 रूपये, 5 अदद कूटरचित दस्तावेज आधार कार्ड तैयार के साथ 08 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया गया तथा उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0 232/24 धारा 318,337, 3(5) बीएनएस बनाम 08 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वांछित अभियक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार क्षेत्र में चेकिंग/दबिश दी जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 09.09.2024 को थाना जेठवारा के उ0नि0 बंशीधर राय मय हमराह उ0नि0 राजीव वर्मा, हे0का0 सन्तराज सरोज, का0 सुनील कुमार सरोज, का0 आशुतोष दुबे, का0 प्रमोद कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर कस्बा डेरवा बाजार से 688 ग्राम नकली सोना की गुरिया व 5 अदद दाना शुद्ध सोना वचन 120 मिलीग्राम, 01 एण्ड्राइड मोबाइल फोन, 240 रूपये, 5 अदद कूटरचित दस्तावेज आधार कार्ड तैयार के साथ 08 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया गया तथा उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0 232/24 धारा 318,337, 3(5) बीएनएस बनाम 08 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 232/24 धारा 318,337, 3(5) बीएनएस थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभिययुक्ता का विवरण-

1- दिपुना दास पुत्र फकीर दास निवासी मुडवसन थाना पोट्टामुन्डई जनपद केन्द्र पाडा राज्य उडीसा।

2- ओख्यादास पुत्र सूरजदास निवासी मुडवसन थाना पोट्टामुन्डई जनपद केन्द्रपाडा राज्य उडीसा।

3- प्रसन्नतादास उर्फ मुन्ना पुत्र गगनदास निवासी आर्यन बेतरा थाना भद्करूरल जनपद भद्क राज्य उड़ीसा ।

4- रामू प्रधान पुत्र स्व0 नरसिंह प्रधान निवासी मुड़माल थाना जाजपुर रोड़ जिला जाजपुर राज्य उड़ीसा।

5- नीलकण्ठ राव पुत्र अप्पा राव निवासी पूर्वकोटे कोरई थाना जाजपुर रोड़ जिला जाजपुर राज्य उड़ीसा।

6- कोलेस दास पुत्र चोगला दास निवासी मुडवसन थाना पोट्टामुन्डई जनपद केन्द्रपाडा राज्य उडीसा।

7- तरिनी प्रधान पत्नी सुभाषप्रधान निवासी मुड़माल थाना जाजपुर रोड़ जिला जाजपुर राज्य उड़ीसा।

8- लिलीदास पत्नी ओख्यादास निवासी मुडवसन थाना पोट्टामुन्डई जनपद केन्द्र पाडा राज्य उडीसा।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियक्तों ने बताया कि हम लोग उड़ीसा राज्य से लोकल ट्रेन से यूपी आये है एक्सप्रेस ट्रेन में पकड़े जाने का जोखिम होता है। हम लोग उड़ीसा से ही खरीदा हुआ पीतल की पालिसदार गुरिया जो कि सोने जैसी चमकती है जिसको हम लोग असली सोना बताकर धोखे से कम दामों में बेच देते है। इसके लिये हम लोग पहले एक दुकान चिन्हित करते है जहाँ पर हममें से कोई सदस्य असली सोने की गुरिया उसके दुकान पर बेचने जाते है और ऐसी ही गुरिया को टेस्ट करने पर सही पाने के बाद हम लोगों द्वारा बतायी गयी ज्यादा मात्रा वाली गुरिया खरीदने का प्रयास करता तो अपने रूकने के स्थान पर बुलाकर पीतल वाली गुरिया जोकि हम लोग जमीन के नीचे गाढ़कर भ्रम फैलाने के लिये रखते है को उसके सामने निकालकर उसी गुरिया में से हाथ की सफाई से फिर सही सोने की गुरिया देकर पूर्ण विश्वास करा देते है। कि ज्यादा मात्रा वाली गुरिया भी सोने की है और बाजार मूल्य से आधे रेट पर पीतल को सोना बनाकर बेच देते है। और तुरन्त वहाँ से निकल जाते है।हम लोगों ने करीब दो साल पहले भी ऐसे ही पीतल की गुरिया एक स्वर्ण व्यापारी को 05 लाख रूपये में बेचकर चले गये थे जो कि हम लोगों ने खाने पीने में खर्च कर दिये।

बरामदगी-

688 ग्राम नकली सोना की गुरिया व 5 अदद दाना शुद्ध सोना वचन 120 मिलीग्राम, 01 एण्ड्राइड मोबाइल फोन, 240 रूपये, 5 अदद कूटरचित दस्तावेज आधार कार्ड।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 बंशीधर राय मय हमराह उ0नि0 राजीव वर्मा, हे0का0 सन्तराज सरोज, का0 सुनील कुमार सरोज, का0 आशुतोष दुबे, का0 प्रमोद कुमार यादव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ।

3- थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़-

-एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग वाँछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

- अन्तर्गत धारा 64(2)F, 351(3) बीएनएस व अन्तर्गत धारा 452,354,506 भादवि व बढोत्तरी धारा 376 भादवि में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

-दोनों अभियुक्त क्षेत्रान्तर्गत रामपुर खागल चौराहा पृथ्वीगंज के पास से गिरफ्तार

-एएसपी(पूर्वी) व सीओ पट्टी के नेतृत्व में थाना पट्टी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे

प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक पट्टी आलोक कुमार के नेतृत्व में दिनांक 09.09.2024 को थाना पट्टी से उ0नि0 लक्ष्मीकान्त सिंह सेंगर मय हमराह का0 पंकज यादव व का0 राघवेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 64(2)F, 351(3) बीएनएस व अन्तर्गत धारा 452,354,506 भादवि व बढोत्तरी धारा 376 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्तों राजू यादव व सुनील विश्वकर्मा को क्षेत्रान्तर्गत रामपुर खागल चौराहा पृथ्वीगंज के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-

1- राजू यादव पुत्र तीरथ यादव निवासी ग्राम बडारी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

2- सुनील विश्वकर्मा पुत्र सरबजीत विश्वकर्मा निवासी ग्राम बडारी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम - उ0नि0 लक्ष्मीकान्त सिंह सेंगर मय हमराह का0 पंकज यादव व का0 राघवेन्द्र यादव

4- थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

-प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

-गोवध अधिनियम व पशू क्रूरता अधिनियम के अभियोग में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

-थाना कुण्डा पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत तिलौरी मोड़ के पास बस अड्डे से 02 वांंछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 28.08.2024 को आरोपीगणों द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर पशुतस्करी करते हुए 07 अदद गोवंश व 01 अदद पिकअप, नशा के इंजेक्शन दाव आदि बरामद किया गया था। इस संबंध मे बरामदगी के आधार पर थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 248/2024 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11घ पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0ॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 गोविन्द सिंह चौहान मय हमराह कां0 अखिलेश कुमार, कां0 विवेक कुमार द्वारा गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित अभियुक्त 1- मो0 मोहसिन पुत्र मो0 इकबाल अंसारी, 2- मो0 इकबाल अंसारी पुत्र स्व0 शरीफ निवासीगण ग्राम नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा थाना कांधला जनपद शामली को आज दिनांक 09.09.2024 को थानाक्षेत्र कुण्डा के तिलौरी मोड़ के पास बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 248/2024 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11घ पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- मो0 मोहसिन पुत्र मो0 इकबाल अंसारी निवासी ग्राम नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा थाना कांधला जनपद शामली।

2- मो0 इकबाल अंसारी पुत्र स्व0 शरीफ निवासी ग्राम नई बस्ती मुस्तफाबाद कस्बा थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 गोविन्द सिंह चौहान मय हमराह कां0 अखिलेश कुमार, कां0 विवेक कुमार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

5- थाना कुण्डा, जनपद- प्रतापगढ़

- प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

-मारपीट/ गाली गलौज, हत्या के प्रयास के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

-थाना कुण्डा पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत रहवई गेट के पास से 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.04.2024 को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रहवई निवासी वादी की मां के साथ आरोपीगणों द्वारा एकराय होकर जान लेने के नियत से लाठी, डण्डो, कुल्हाडी व फावड़ा से मारपीट करने आदि आरोपों में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 110/24 धारा 307,325,323,504,506 भादवि0 बनाम 03 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा, अजीत सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 गिरीशधर दुबे मय हमराह का0 सुशील पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 110/24 धारा 307,325,323,504,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त 1- फिरदोष बेग पुत्र जुमई उर्फ युसुफ बेग निवासी रहवई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत रहवई गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- फिरदोष बेग पुत्र जुमई उर्फ युसुफ बेग निवासी रहवई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 गिरीशधर दुबे मय हमराह का0 सुशील पटेल थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

6-थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर के उ0नि0 हरेन्द्र सिंह मय हमराह हे0कां0 हरिकेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, वाद सं0 155/2019 धारा 128 सीआरपीसी से संबंधित वारण्टी अभियुक्त महबूब अली पुत्र आबिद अली निवासी ग्राम कुल्हीपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ को कुल्हीपुर पुराना बाजार से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

महबूब अली पुत्र आबिद अली निवासी ग्राम कुल्हीपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 हरेन्द्र सिंह मय हमराह हे0कां0 हरिकेश कुमार थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।